



व्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय राजस्व व्यायालय भोपाल म0प्र0 363

२०१९

निगरानी - ६०७३/२०१८/सीहोर/श्र.२१

प्र.क.....



1. माया बाई पत्नी स्व. श्री रामगोपाल  
आयु-४५ वर्ष
2. निककी आत्मज स्व. श्री रामगोपाल  
आयु-अवयस्क आयु-१० वर्ष  
संरक्षक एवं नैसर्गिक पालक  
मायाबाई दोनों निवासीगण- बग्गीखाना,  
छावनी सीहोर म0प्र0
3. भूरकुंवर बाई पत्नी श्री जगदीश  
आयु-लगभग ५० वर्ष
4. सीमा बाई पत्नी श्री रूप सिंह  
आयु-लगभग ४५ वर्ष  
दोनों निवासी- धोबीखेडी, तहसील श्यामपुर,  
जिला सीहोर म0प्र0

249

२४९ ६०७३/१८  
सीहोर

३१ अगस्त ०२७१  
३१ अगस्त ०५/५/२०१८

(२४९)

पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. मीना बाई पुत्री हरिसिंह  
आयु-लगभग ४० वर्ष  
निवासी-ग्राम सेवनिया ओमकारा,  
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0
2. रउफ खां आत्मज श्री रशीद खां  
आयु-५० वर्ष
3. खेरून बी पत्नी शरीफ खां  
आयु-४८ वर्ष निवासी-धोबीखेडी,  
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0--

उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा ५० म0प्र0 भू-राजस्व संहिता  
पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्न निवेदन है-

निरंतर...2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/6073/18/लीट्रो/मूरा

भाषा | भीजा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२०।।१२।।१८	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रामेश्वरांगुलिमिहिवक्ता</u> द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>कुमारी, लीट्रो</u> के प्रकरण क्रमांक <u>२७/भृ०८०८०८/१८</u> में पारित आदेश दिनांक <u>३।।३।।१८</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>लीट्रो</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>३।।५।।१९</u> को कलेक्टर जिला <u>लीट्रो</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	